

फर्द अहकाम

बनाम

1/5-3/10/25

नाम न्यायालय A.C.S. 2012

केस संख्या 16/25

आज्ञा विस्तृत रूप से

क्रम संख्या दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

22/12/25

Cal. 8/12/25
17/12/25

पञ्चाली प्रस्तुत (व.क. 34) जगत पुर रिपोर्ट के पट बट्ट के तस्यो पट मन्त किया जायेगा (पट्टा) तस्यो पट मन्त किया जायेगा (पट्टा) क्रि. 23/12/25 को पेक्षा दी

सहायक कलक्टर
आमेर म. जयपुर

23/12/25

पञ्चाली प्रस्तुत (व.क. उपस्थित) तहसील पट रामपुर-डाबगी जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट पर बट्ट सुनी गई। प्रस्तुत रिपोर्ट एवं बट्ट के तस्यो पट मन्त किया गया। तहसील पट में अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है, कि "निर्णय व डिब्बी की पालन में सनी पक्षकारण को नोटिस सूचित किया जाकर दिनांक 11/7/2025 को आराजीपार का मौक निरीक्षण किया गया वादग्रस्त खसरो में मौके पर आवासीय कोलोनी कसी होने बर्थात् भूमि का अकृषि उपयोग होने के कारण कुर्रजात बनाना संभव नहीं है।

विषय का पट सुस्थापित सिद्ध है कि जब विवाहित आराजी पट मकान आवासीय कोलोनी विकसित हो चुकी है

सहायक कलक्टर
आमेर म. जयपुर

फर्द अहकाम

मेहनत बनाम मोहन

आलय नं १०३/२
T 16/2

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	<p>तो उक्त आराजी कृषि प्रयोजनाय नहीं रही है मात्र रिकॉर्ड में अंकित होने से यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त आराजी कृषि प्रयोजनाय उपयोग में हो। अतः उक्त वाद खारिज होने योग्य है।</p> <p>उक्त तहसीलवा राहपुरा-जाखी जपट्टा की रिपोर्ट के आधार पर वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुकाए होकर दखिल फरमाए है।</p> <p style="text-align: right;">(Signature) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर</p>	